न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

अपील सं0 : 7 सन 2021

अनवान :—

1. अब्दुल सतार पुत्र सुरजेखां जात मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

अपीलान्ट

बनाम

1. सलामूदीन पुत्र उसमान खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. लालंखा पुत्र उसमान खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
3. गाजी पुत्र उसमान खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. ताज खां पुत्र उसमान खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. सरोज पत्र उसमान खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
6. बेगा पत्नी उसमान खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
7. हारून पुत्र आलमदनी पुत्र उसमानखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. पप्पू पुत्र आलमदनी पुत्र उसमानखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. गोगी पुत्र आलमदनी पुत्र उसमानखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. अकरम पुत्र असमान खां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
11. सलमा पुत्री जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
12. भूरी पुत्री जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
13. कसमीन पुत्र नूरजहॉ जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
14. गुलजारा पुत्री नूरजहॉ जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
15. दलबीर पुत्र नुरजहॉ जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
16. गुलेखा पुत्र जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
17. गुडडी पुत्री जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
18. लालेखा पुत्र जगीरखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
19. अदरीश पुत्र जगीरखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
20. दलमीर पुत्र जगीरखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
21. नवाब पुत्र जगीखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
22. इकबाल पुत्र जगीरखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
23. रूकसाना पुत्री जगीरखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
24. कुरसेदा पुत्री जगीरखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
25. हलीमा पुत्री जगीरखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
26. सलीमा पुत्री जगीरखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
27. कनोज पत्नी सदीक जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
28. आमीन पुत्र सदीक जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
29. बली मोहम्मद पुत्र सदीक जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
30. सोना पुत्री सदीक जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
31. भीखा पत्नी कासमदीन जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
32. मुख्त्यार पुत्र कासमदीन जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
33. मुस्ताक पुत्र कासमदीन जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
34. जुलफकार पुत्र कासमदीन जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
35. मोहम्मद पुत्र कासमदीन जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
36. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
37. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत [illegible] नोहर।
38. अजरूखान पुत्र अरसिया पुत्री सुबेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
39. हबीबी खां पुत्र अरसिया पुत्री सुबेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

40. लालखां पुत्र अरसिया पुत्री सुबेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
41. बालीखां पुत्र अरसिया पुत्री सुबेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
42. नूरलाई पुत्र अरसिया पुत्री सुबेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
43. मंजुरा पुत्री अरसिया पुत्री सुबेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
44. ज्याना पुत्री अरसिया पुत्री सुबेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
45. अहमदयार पुत्र जकीरा पुत्री सुबेख जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
46. गोरेखां पुत्र जकीरा पुत्री सुबेख जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
47. चकी पुत्र जकीरा पुत्री सुबेख जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
48. जलालखां पुत्र जकीरा पुत्री सुबेख जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
49. नूरजमाल पुत्र जकीरा पुत्री सुबेख जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
50. नुरबी पुत्री जकीरा पुत्री सुबेख जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
51. मुमताज पुत्र जकीरा पुत्री सुबेख जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
52. रहमत अली पुत्र जकीरा पुत्री सुबेख जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
53. सरदारखां पुत्र जकीरा पुत्री सुबेख जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
54. सादक खां पुत्र जकीरा पुत्री सुबेख जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
55. ईसराईल खां पुत्र खातुन पुत्री सुबेख जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
56. अलीशेर पुत्र खातुन पुत्री सुबेख जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
57. रजाक पुत्र खातुन पुत्री सुबेख जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
58. सन्तो पुत्र खातुन पुत्री सुबेख जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

असल रेस्पोडेन्टस

59. नूरजमाल पुत्र सरुजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
60. मंजुरा पुत्री सुरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
61. शाश्वर पुत्र सुरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
62. जवाहरखां पुत्र सुंरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
63. गुलजार पुत्र सरुजेखां जाति मुसलामन निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
64. गुलाबनवी पुत्र सुरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
65. बालो पुत्र सुरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
66. जिला पुत्र सुरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
67. हलीमा पुत्री सुरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
68. श्याबा पुत्री सुरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
69. रेशमा पुत्री सुरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
70. खातुन पत्नी ईब्राहिम पुत्र सुरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
71. मकबुल पुत्र इब्राहिम पुत्र सुरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

72. सिराज पुत्र इब्राहिम पुत्र सुरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
73. चिराग पुत्र इब्राहिम पुत्र सुरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
74. चिराग पुत्र इब्राहिम पुत्र सुरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
75. मदीना पुत्री इब्राहिम पुत्र सुरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
76. नजमा पुत्री इब्राहिम पुत्र सुरजेखां जाति मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

असल रेस्पोडेन्ट

5. बनवारी पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 23 दिनांक 04.10.1977 रोही मौजा ढाणी लालखां जिसे ग्राम पंचायत देईदास द्वारा तस्दीक किया गया को निरस्त करने ।

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 26/07/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत 75 एल.आर.एक्ट के तहत इस आश्य की पेश की गई है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खसरा न0 219 की 6.10 बीधा , खसरा न0 233/268 की 1.02 बीधा, कुल 7.12 बीधा भूमि थी जो वर्तमान में खाता संख्या 52/46 के खसरा न0 219 की 1.6440हैक व खसरा न0 233/268 की 0.2780हैक में परिर्वतन पैमुद है जिसके सुरजेखां वल्द रावतखां खातेदार काश्तकार थे।

उक्त साबिका खसरा न0 143 मीन की भूति थी जो हाल खसरा न0 219 ,233/268 में परिर्वतन कर पैमूद हुई है जो मिलान क्षेत्रफल से साबित है।

उक्त भूमि सुरजेखां वल्द रावतखां की नौतोड करदा कब्जा काश्त की भूमि है जो सुरजेखां सम्वत 2012 से उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है सम्वत 2029 से 2038 तक राजस्व रिकार्ड में सुरजेखां वल्द रावतखां के नाम सही तौर से दर्ज थी परन्तु अपीलाधीन नामान्तकरण में रेस्पोडेन्टस के मौरूसान ने उक्त भूमि कतई गलत व अनुचित तौर से अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि सुरजेखां खातेदार काश्तकार था उक्त भूमि में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टस मुताबिक हक व हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे रेस्पोडेन्टस ने मातहत अदालत ने कतई अनुचित व मनमाने ढंग से अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है

मातहत अदालत ने पटवारी हल्का की मदद से सुरजेखां वल्द रावतखां के नाम नामान्तकरण के कॉलम संख्या 5 में काटकर सुखा वल्द रावतखां दर्ज कर दिया गहरी स्याही से पैन से उक्त अंकन में सुरजेखा के स्थान पर सुखा दर्ज कर दिय तथा सुबेखा का नाम उक्त खाता में नही था तथा कॉलम संख्या 5 में सुबेखां दर्ज भी नही हे मातहत अदालत गैर कानूनी ढंग से गलत दर्ज किया है

अपीलाधीन नामांन्तकरण [illegible] अदालत ने साबिका खसरा न0 43 मीन में खातेदार कौन है वादग्रस्त भूमि की [illegible] की तथा पूर्व की खतौनियात को अनदेखा व नजर अन्दाज करके अपीलाधी[illegible] है जिससे तरतीबी रेस्पोडेन्टस व अपीलान्ट के हको का हनन होता है व अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जाते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:50 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तकरण का ज्ञान नही था क्योकि वाद भूमि अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस के कब्जा काश्त में चली आ रही है दिनांक 05.10.2021 को रेस्पोडेन्टस

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त भूमि पर कॉलोनी विकसीत करने के उदेश्य से नक्शा लेकर प्लाट काटकर अन्य अजनबी लोगो को काबिज करने लगे तब अपीलान्ट को उक्त भूमि जो अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टस के कब्जा काश्त में थी रेस्पोडेन्टस के नाम दर्ज होने का ज्ञान हुआ जो अवैध है अवैध व क्षेत्राधिकार विहिन आदेश में कोई मियाद अवधि नही है फिर भी सुविधा की दृष्टि से दफा 5 मियाद अपीधनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न अपील मिमों प्रस्तुत किया गया है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 23 स्वीकृत दिनांक 04.10.1977 रोही मौजा ढाणी लालखां स्वीकृतकर्ता ग्राम पंचायत देईदास तहसील नोहर को अपास्त करने के आदेश फरमावे।

अपीलान्ट की अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये रजिस्टर सम्मन के तलब किया गया रेस्पोडेन्टस या उनका कोई प्लीडर न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई जाकर अपीलान्टस के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने अपील मिमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी लालखां के खसरा न0 219 की 6.10 बीधा , खसरा न0 233/268 की 1.02 बीधा, कुल 7.12 बीधा भूमि थी जो वर्तमान में खाता संख्या 52/46 के खसरा न0 219 की 1.6440हैक्व व खसरा न0 233/268 की 0.2780हैक्व में परिर्वतन पैमुद है जिसके सुरजेखां वल्द रावतखां खातेदार काश्तकार थे।

उक्त साबिका खसरा न0 143 मीन की भूति थी जो हाल खसरा न0 219 ,233/268 में परिर्वतन कर पैमूद हुई है जो मिलान क्षेत्रफल से साबित है।

उक्त भूमि सुरजेखां वल्द रावतखां की नौतोड करदा कब्जा काश्त की भूमि है जो सुरजेखां सम्वत 2012 से उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है सम्वत 2029 से 2038 तक राजस्व रिकार्ड में सुरजेखां वल्द रावतखां के नाम सही तौर से दर्ज थी परन्तु अपीलाधीन नामान्तकरण में रेस्पोडेन्टस के मौरूसान ने उक्त भूमि कतई गलत व अनुचित तौर से अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि सुरजेखां खातेदार काश्तकार था उक्त भूमि में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टस मुताबिक हक व हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे रेस्पोडेन्टस ने मातहत अदालत ने कतई अनुचित व मनमाने ढंग से अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है

मातहत अदालत ने पटवारी हल्का की मदद से सुरजेखां वल्द रावतखां के नाम नामान्तकरण के कॉलम संख्या 5 में काटकर सुखा वल्द रावतखां दर्ज कर दिया गहरी स्याही से पैन से उक्त अंकन में सुरजेखा के स्थान पर सुखा दर्ज कर दिय तथा सुबेखा का नाम उक्त खाता में नही था तथा कॉलम संख्या 5 में सुबेखां दर्ज भी नही हे मातहत अदालत गैर कानूनी ढंग से गलत दर्ज किया है

अपीलाधीन नामांन्तकरण कारित करते समय मातहत अदालत ने साबिका खसरा न0 43 मीन में खातेदार कौन है वादग्रस्त भूमि की जांच नही की तथा पूर्व की खतौनियात को अनदेखा व नजर अन्दाज करके अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज किया गया है जिससे तरतीबी रेस्पोडेन्टस व अपीलान्ट के हको का हनन होता है व अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जाते है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 23 निरस्त फरमावे।

हमने वकील अपीलान्टस की एक पक्षिय बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2013 में साबिक खसरा न0 143 में सुरजा वल्द रावतखां के नाम दर्ज है

अपीलान्ट का कथन है कि वाद भूमि साबिका खसरा न0 143 मीन जिसके हाल खसरा न0 219 ,233/268 बने है अपीलान्ट के पूर्वज सुरजेखा वल्द रावतखां के कब्जा काश्त में थी एव वर्तमान में अपीलान्ट एव तरतीबी रेस्पोडेन्टस के कब्जा काश्त में चली आ रही है अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2013 में साबिका खसरा न0 143 मीन की भूमि सुरजे खां वल्द रावतखां के नाम दर्ज है जिससे अपीलान्ट के कथनों को बल मिलता है आगामी जमाबन्दी सम्वत 2016 में सुखा वल्द रावतखां दर्ज है किन्तु सुखा शब्द में ऑवरराईटीग की गई है ऐसा प्रतित होता है कि सुरजा के नाम को सुखा में परिर्वतन किया गया है इसके पश्चात बने जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 में सुखा वल्द रावतखां दर्ज किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नामान्तकरण संख्या 23 के कॉलम संख्या 5 में भी सुखा शब्द को गहरा किया जाकर गया है अर्थात औवरराईटिग की गई है नामान्तकरण संख्या 23 दर्ज करते समय मौका पर किसका कब्जा काश्त है कि जांच करना नही पाया जाता है पटवारी हल्का के द्वारा बनाये गये कुर्सीनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया गया है जो न्यायोचित नही है।

नामान्तकरण सख्या 23 दर्ज करने से पहले मौका पर वाद भूमि किसके कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा राजस्व रिकार्ड में काट छांट होने पर उससे पूर्व का रिकार्ड की जांच की जानी चाहिये थी की पूर्व राजस्व रिकार्ड में भूमि किसके नाम दर्ज है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि किस हैसियत से दर्ज हुई है यदि रिकार्ड में लिपिकिय त्रुटी से दर्ज हुई तो राजस्व रिकार्ड को पहले शुद्व किया जाना चाहिये था तत्पश्चात आगामी कार्यवाही की जानी चाहिये थी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अंकन का सत्यापन होने के बाद ही विरास्तन नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिये था हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्टस को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में रेस्पोडेन्टस या उनका कोई प्लीडर उपस्थित नही होना भी अपीलान्ट के कथनों को बल मिलता है।

हस्तगत प्रकरण में मौका व रिकार्ड की जांच करने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जाना न्यायोचित प्रतित होता है पूर्व राजस्व रिकार्ड की अक्षरश मिलान करने एव मौका पर वाद भूमि किसके कब्जा काश्त में चली आ रही है की जाचं करने के उपरान्त व वाद भूमि से सम्बधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का सुमतिच अवसर व साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया जाकर पूनः अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज किया जाना उचित है ताकि किसी भी काश्तकार के हकों का हनन ना हो सके।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 23 रोही मौजा ढाणी लालखां स्वीकृत दिनांक 04.010.1977 को निरस्त किया जाता है जाकर प्रकरण तहसीलदार राजस्व नोहर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता कि उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया जाकर पूनः निर्णय पारित किया जावें निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/07/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:34:50 IST
Reason: SelfAttested